उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार।

संख्या– 292 /01/E–1 (PCS-12)/2013-14 दिनांक 07 दिसम्बर, 2015

विज्ञप्ति

सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा–2012 हेतु निर्देश

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 71/2014 सुनील कुमार व अन्य, रिट याचिका संख्या 76/2015 मनोज कुमार चौधरी व अन्य, रिट याचिका संख्या 81/2015 अतुल कुमार लापड़ व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 95/2015 डॉ0 कुलदीप व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16.11.2015 के अनुपालन में **सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा–2012** के पूरक परिणाम दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 में मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाईट पर मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क व परीक्षा केन्द्र की सूचना प्राप्त की जा रही है। उपरोक्त सूचना प्रदान करने के लिए अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के ऑन–लाईन आवेदन में अंकित पंजीकरण संख्या (आई0डी0) के आधार पर आयोग की वेबसाईट पर लॉग–इन करते हुए मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र की सूचना दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 से दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जमा करने की अंतिम तिथि 24 दिसम्बर, 2015 है। अभ्यर्थियों को अनिवार्य अर्हता, परीक्षा शुल्क की रसीद एवं परीक्षा केन्द्र हेतु प्रदान की गयी सूचना के प्रिंट–प्रति सहित समस्त शैक्षणिक व आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों को डाक के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय में दिनांक 01 जनवरी, 2016 तक जमा करना अनिवार्य है। इस संबंध में आवश्यक सूचना व तिथि निम्नवत हैं–

(1) मुख्य परीक्षा का आयोजन **हल्द्वानी एवं हरिद्वार** नगरों में किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र हेतु नगर का विकल्प दिनांक **08 दिसम्बर, 2015 से 21 दिसम्बर, 2015** की रात्रि 11:59:59 बजे तक आयोग की वेबसाईट पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

(2) वेबसाईट से मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने के लिए चालान की प्रति का प्रिंट–ऑउट प्राप्त करने के पश्चात परीक्षा शुल्क एस0बी0आई0 की ब्रांच में जमा करने की अंतिम तिथि **24 दिसम्बर, 2015** है। मुख्य परीक्षा का शुल्क निम्नवत है–

क्रमांक	श्रेणी/उपश्रेणी	परीक्षा शुल्क
1.	सामान्य	250/–
2.	अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग जन	100/–
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित	150/–

अन्य उपश्रेणी के अभ्यर्थी अपने मूल श्रेणी के सापेक्ष शुल्क जमा करेंगे।

(3) वेबसाईट पर परीक्षा केन्द्र के लिए प्रदान की गयी सूचना की प्रिंट–प्रति में यथास्थान प्रविष्टियां व हस्ताक्षर करने के उपरांत मूल प्रिंट–प्रति, बैंक में जमा किये गये परीक्षा शुल्क की रसीद, शैक्षणिक अर्हता के अंतर्गत हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाओं के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र/डिग्री तथा विज्ञापन में उल्लिखित प्रारूप के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र और यदि प्रारम्भिक परीक्षा के ऑन–लाईन आवेदन में किसी श्रेणी/उपश्रेणी में आरक्षण का दावा किया गया है, तो उसके समर्थन में संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति की स्वप्रमाणित प्रतियां एक लिफाफे में रखकर **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार–249404** को दिनांक **01 जनवरी, 2016 के सायं 5:00** बजे तक डाक के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात उक्त परीक्षा से संबंधित कोई भी लिफाफा/डाक स्वीकार नहीं की जायेगी। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में निम्न सूचना अंकित करना आवश्यक हैः–

परीक्षा का नाम– सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा–2012

अनुक्रमांक–

पदक्रमांक– **पदनाम–**

(प्रारम्भिक परीक्षा के पूरक परिणाम दिनांक 02.12.2015 में जिस पद के सापेक्ष सफल हुए हैं उसके क्रमांक के अनुसार पदक्रमांक)

यह भी सूचित किया जाता है कि इस संबंध में डाक के माध्यम से अभ्यर्थियों को कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

(एस0 एन0 पाण्डे)
सचिव। 07.12.2015